(80)

पत्रांक-अ.स.क. 08-04/2004(अंश)......621

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक-

डा0 एम0 ए0 इब्राहिमी,
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

दिनांक 09.06.2005

विषय- जिलों में निर्मित अल्पसंख्यक छात्रावास भवन के रख रखाव व आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक 903 दिनांक 30.9.20 में निहित दिशा निदेशानुसार नव निर्मित अल्पसंख्यक छात्रावासों के संचालन हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा संचालन समिति के गठन के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों का पैनल राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा जाता था तथा सरकार के अनुमोदनोपरान्त जिला पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत वरीय पदाधिकारी की अध्यक्षता में छात्रावास की संचालन समिति का गठन किया जाता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। सरकार ने इस गठन प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक छात्रों का छात्रावास जो भी बनाया जा रहा है वह किसी न किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में बनना चाहिए। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों के संचालन हेतु अपनी व्यवस्था होती है।उसी व्यवस्था के तहत ऐसे छात्रावासों का संचालन किया जाय। मगर जो छात्रावास अलग से बनकर तैयार हो चुके हैं उन्हें किसी अच्छे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के साथ संबंद्ध करना उचित होगा। अगर यह भी संभव नहीं हो तो संचालन समिति का गठन विभागीय पत्रांक 903 दिनांक 30.9.2003 के अनुसार जिला पदाधिकारी से ही संपन्न किया जायेगा। समिति के गठन करने के बाद सरकार को सूचित करन दें। आवश्यकता समझे जाने पर ही सरकार के स्तर पर किसी प्रकार का संशोधन किया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि इस संशोधन के आलोक में अपने जिले के तैयार छात्रावास के संचालन की यथाशीघ्र व्यवस्था की जाय एवं कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन
एम0 ए0 इब्राहिमी
सरकार के सचिव
9.6.05

(80)

पत्रांक-अ.स.क. 08-04/2004 (अंश)......621

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक-

डा0 एम0 ए0 इब्राहिमी,
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

दिनांक 09.06.2005

विषय- जिलों में निर्मित अल्पसंख्यक छात्रावास भवन के रख रखाव व आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक 903 दिनांक 30.9.20 में निहित दिशा निदेशानुसार नव निर्मित अल्पसंख्यक छात्रावासों के संचालन हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा संचालन समिति के गठन के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों का पैनल राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा जाता था तथा सरकार के अनुमोदनोपरान्त जिला पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत वरीय पदाधिकारी की अध्यक्षता में छात्रावास की संचालन समिति का गठन किया जाता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। सरकार ने इस गठन प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक छात्रों का छात्रावास जो भी बनाया जा रहा है वह किसी न किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में बनना चाहिए। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों के संचालन हेतु अपनी व्यवस्था होती है।उसी व्यवस्था के तहत ऐसे छात्रावासों का संचालन किया जाय। मगर जो छात्रावास अलग से बनकर तैयार हो चुके हैं उन्हें किसी अच्छे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के साथ संबंद्ध करना उचित होगा। अगर यह भी संभव नहीं हो तो संचालन समिति का गठन विभागीय पत्रांक 903 दिनांक 30.9.2003 के अनुसार जिला पदाधिकारी से ही संपन्न किया जायेगा। समिति के गठन करने के बाद सरकार को सूचित करन दें। आवश्यकता समझे जाने पर ही सरकार के स्तर पर किसी प्रकार का संशोधन किया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि इस संशोधन के आलोक में अपने जिले के तैयार छात्रावास के संचालन की यथाशीघ्र व्यवस्था की जाय एवं कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन
एम० ए० इब्राहिमी
सरकार के सचिव
9.6.05